राजस्थान के पर्यटन उद्योग में निजी संस्थाओं की भूमिका

*डॉ. ऋचा चौहान

प्रस्तावना

पर्यटन उद्योग के तहत इसके सहायक उद्योगों का विकास, उनमें लगे लोगों का विकास और साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास के लिए जो कार्ययोजना बनाई जाती है, उसके प्रभावी नियोजन, समन्वय, निर्देशन आदि के लिए पर्यटन प्रबंध के विभिन्न स्तरों से गुजरना होता है। स्थान विशेष की हस्तकला, दस्तकारी के साथ ही निर्यात योग्य उत्पादों के विपणन आदि के लिए भी पर्यटन उद्योग की समस्त क्रियाओं के मध्य सामंजस्य बैठाकर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र अपना–अपना योगदान प्रदान करें, न केवल अपने लाभ के लिए, बल्कि विशेष रूप से पर्यटकों व राष्ट्रीय व राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए भी। पर्यटन में इन संस्थाओं की भूमिका आवश्यक इसलिए भी होती है कि यह आर्थिक विकास की गति को तेज करने का उत्कृष्टतम साधन है। सुप्रसिद्ध विद्वान पीटर एफ ड्रकर का कथन यहाँ गहन अर्थ लिए है कि, ''संस्थाओं द्वारा प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य समाज के विकास में योगदान देना है। व्यवसायपति का कार्य केवल परम्परागत तथा निष्क्रिय कार्य 'अधिकतम लाभ' प्राप्त करना तथा परिस्थितियों से समझौता करना मात्र नहीं है। प्रबंध करने का अर्थ आर्थिक परिवेश का निर्माण करना, नियोजन करना तथा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की परिस्थितियों का सृजन करना है।

निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्रबंध से वह बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो किसी उद्योग के सामान्य संचालन से प्राप्त होना संभव नहीं है। दरअसल पर्यटन का सुव्यवस्थित विकास भी पर्यटन प्रबंध से ही संभव है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में पर्यटन की आधारिक संरचना की योजनाओं को नियोजित करते समय पूर्ण सावधानी बरती जानी भी जरूरी है। वैसे पर्यटकों की बढ़ती संख्या, पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण के कारण ही पर्यटन प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र स्थलों का संरक्षण, उन स्थलों के सौन्दर्यीकरण के अलावा वहाँ पर उपलब्ध कराए जाने वाले सभी साधनों का विकास पर्यटन प्रबंध के तहत ही किया जाता है। पर्यटन प्रबंध का मुख्य उद्धेश्य अन्तर्क्षेत्रीय संबंधों को विकसित करना भी होता है क्योंकि इसके माध्यम से स्वेदशी मार्केट का उत्थान व विकास होता है।

राजस्थान में पर्यटन प्रबंध के तहत आज आवश्यकता इस बात की सर्वाधिक है कि यहाँ पर सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी पर्यटन प्रबंध में सुनिश्चित की जाए। इसी से पर्यटन उद्योग को जन–उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। यही पर्यटन उद्योग की सफलता भी होगी।

निजी क्षेत्र की भूमिका

राजस्थान में वैसे तो पर्यटन–प्रबंध के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों का लगभग सम्पादन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है परन्तु इधर के वर्षों में राज्य में निजी क्षेत्रों द्वारा भी पर्यटन में प्रबंध में महत् सहयोग दिया गया है। दरअसल पर्यटन–स्थलों के रखरखाव के साथ ही उन्हें राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को बेहतर पर्यटन–वातावरण प्रदान करने, उन्हें आरामदायक आवास व बेहतर खान–पान सुविधाएँ प्रदान करने के साथ ही साथ उनके लिए योजनाबद्ध पैकेट ट्यूर बनाने की दिशा में निजी क्षेत्र का योगदान गत वर्षों में महत् रहा है।

चूँकि पर्यटन एक उद्योग न होकर उद्योगों का समूह है और इसके अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक क्रियाएँ क्रियान्वित की जाती है, ऐसे में पर्यटन के सहायक उद्योगों के रूप में पर्यटकों का आवास, खान–पान सुविधा, परिवहन के अच्छे साधनों को उपलब्ध कराने आदि के महत् कार्य निजी क्षेत्र द्वारा ही क्रियान्वित किए जाते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पर्यटकों को यहाँ की समृद्ध विरासत से परिचित कराने, उन्हें यहाँ के रियासतकालीन रजवाड़ों की शानो–शौकत से रूबरू कराने की दिशा में हेरिटेज होटलों का महत् योगदान रहा है। हेरिटेज होटलों में पर्यटकों के ठहरने, उन्हें वहां खान–पान की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य निजी स्तर पर ही किया जाता है।

राज्य में जयपुर में हेरिटेज ऐसोसियेशन इसलिए बनी हुई है कि समस्त हेरिटेज होटलों में समरूपता लायी जाकर वहां पर बेहतर प्रबंध किए जा सकें। हेरिटेज होटल ऐसोसियेशन द्वारा राज्य के सभी हेरिटेज होटलों के नियम–कानूनों में एकरूपता लाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा बहुत से निजी ट्रस्ट ऐसे हैं जिनके द्वारा पर्यटक–स्थलों के रखरखाव व वहां पर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के कार्य किए जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं – महाराजा रायसिंह ट्रस्ट, बीकानेर, महाराणा मेवाड़ फाउण्डेशन, उदयपुर आदि। इन ट्रस्टों के द्वारा ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के रखरखाव के साथ–साथ उन स्थलों का संचालन व प्रबंध भी किया जाता है। पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी ये ट्रस्ट अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं।

राज्य के विभिन्न स्थानों पर सरकारी संग्रहालयों के साथ–साथ बहुत से ऐसे स्थल भी हैं जहां पर निजी लोगों के प्रयासों से संग्रहालय चलाये जा रहे हैं। इन संग्रहालयों को देखने देश–विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते ही रहते हैं। ऐसे में पर्यटन को राज्य में प्रोत्साहन की दिशा में निजी क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में इन प्रयासों के अलावा यहाँ आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए पैकेज ट्यूर बनाने, उन्हें आवास सुविधा प्रदान करने व संबंधित क्षेत्र में भ्रमण कराने की दिशा में भी निजी क्षेत्र के प्रयास कम नहीं है।

राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटलों के अलावा वेलकम ग्रुप, ओबराय, एच.आर.एच., अशोका आदि ग्रुप के होटल महत्वपूर्ण पर्यटन–स्थलों पर संचालित किए जा रहे हैं। इन ग्रुपों द्वारा भी पर्यटन प्रबंध का राज्य में महत् कार्य किया जा रहा है। दिल्ली या अन्य स्थानों से इन होटलों के लिए राजस्थान में पर्यटन के लिए पैकेज बनाए हुए हैं। इन पैकेजों के अन्तर्गत राज्य के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करते हैं तथा यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए पहले से ही आवास, खान–पान आदि की सुविधाओं के साथ ही साथ उनकी रूचि के पर्यटन–स्थलों पर सैर कराने की दिशा में भी सहयोग करते हैं।

राजस्थान में पर्यटन निजी क्षेत्र संगठन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(1) राजस्थान ट्यूर ऑपरेटर संघ –

इस संघ की स्थापना 1981 में हुई थी। 'अन्तर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना को अधिक प्रोत्साहित' करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। यह संघ ट्यूर ऑपरेटरों का एक संयुक्त मंच है। यह संघ राजस्थान में पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करता है और इसमें उसकी मदद भी करता है। यह कार्य विभिन्न निकायों और अभिकरणों के साथ सीधे तौर पर मिलकर या उनसे विचार–विमर्श कर किया जाता है। पर्यटन से संबद्ध अच्छी साख और सम्मान रखने वाले संगठन ही इसके सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार के संगठन के पास पर्यटन और यात्रा उद्योग का 1 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा सदस्यता की अलग–अलग श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी की अपनी शर्त है।

राजस्थान ट्यूर ऑपरेटर संघ के उद्धेश्य निम्नलिखित हैं–

I. ट्यूर ऑपरेटरों तथा ट्रैवल एजेन्टों के बीच उनके आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए मित्रवत् व्यवहार को प्रोत्साहित करना।

II. ट्यूर ऑपरेटर संघ के सदस्यों की उपलब्धियों पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना और इसके लिए उपयुक्त कार्य करना।

III. पर्यटन के क्षेत्र में विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व को बढ़ाने हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने, शोध के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना।

IV. प्रजाति रंग, जाति या राष्ट्रीयता आदि के भेदभाव के बिना सभी आगन्तुकों को पर्यटन का आनन्द प्रदान करना और यात्रा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।

V. राष्ट्रीय अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण और सद्भावना।

VI. राजस्थान में संस्थान पीठ का गठन तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाना।

VII. उद्योग में उच्च स्तरीय आचार संहिता का अनुपालना करवाना।

VIII. गोष्ठियाँ, सामूहिक विचार–विमर्श, पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक बैठकों आदि का आयोजन करवाना, उन्हें सहायता राशि देना और सहयोग प्रदान करना।

IX. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राजस्थान के अन्य वाणिज्यिक और सार्वजनिक निकायों, सरकारी विभागों या समितियों, अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघों और विभिन्न विदेशी व स्थानीय संघों तथा निगमों एवं कंपनियों से सम्पर्क स्थापित करना तथा यात्रा व्यापार की उन्नति के लिए कार्य करना। इसके अलावा इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सदस्यों की नियुक्ति करना।

(2) राजस्थान ट्रेवल एजेन्ट संघ –

1951 में भारत के बाहर प्रमुख ट्रैवल एजेन्टों ने यह महसूस किया कि 'यात्रा उद्योग को संगठित कर और मजबूत व्यापारिक सिद्धान्तों में बांधकर नियंत्रित करने के लिए एक संघ की स्थापना की जाए।' इस प्रकार राजस्थान ट्रैवल एजेन्ट संघ की स्थापना हुई। इस संघ के मुख्य उद्धेश्य निम्न हैं–

I. इसके व्यवस्थित विकास और उन्नति को बढ़ावा देना।

II. उद्योग में लगे लोगों के हितों का संरक्षण करना।

III. बेईमान और गेर भरोसेमंद संचालकों के शोषण से यात्रियों की सुरक्षा करना।

राजस्थान ट्रैवल एजेन्ट संघ की मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार है–

I. यात्रा उद्योग के विभिन्न अंगों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना आदि।

II. पर्यटन और यात्रा संबंधी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना और सदस्यों को उनसे अवगत कराना।

III. देश में यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहित करना, इसकी साख कायम रखना और उनके विकास में योगदान देना।

IV. विश्व निकायों से सम्पर्क रखना और भारत के यात्रा और पर्यटन उद्योग से संबंधित मामलों को उनके सामने रखना।

V. गोष्ठियों, सम्मेलनों और आपसी विचार विमर्श द्वारा भविष्य की समस्याओं के प्रति सदस्यों को सचेत करना और दिशा–निर्देश देना।

(3) राजस्थान में होटल और रेस्तरां फैडरेशन –

इस फैडरेशन की स्थापना 1954 में हुई। इसे भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत 7 दिसम्बर, 1955 को एक कम्पनी का रूप दिया गया, भारत में इसके चार क्षेत्रीय संघ हैं। पूर्वी भारत होटल और रेस्तरां संघ, उत्तरी भारत होटल और रेस्तरां संघ, पश्चिम भारत होटल और रेस्तरां संघ, इन चारों संघों को मिलाकर एक फैडरेशन का निर्माण किया गया। इस फैडरेशन के उद्धेश्य इस प्रकार हैं–

I. इन चार प्रान्तीय संघों को एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय संगठन में एकबद्ध करना।

II. होटल और रेस्तरां उद्योग के हित में जुड़े सभी प्रश्नों पर विचार करना और निर्णय लेना।

III. राजस्थान में आवभगत उद्योग, खासकर होटल और रेस्तरां का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचार और प्रसार करना।

IV. सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना और होटल तथा रेस्तरां उद्योग को प्रासंगिक सूचनाएँ प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण मुद्‌दों पर अपने सदस्यों को सलाह देना।

V. पर्यटन मंत्रालय / विभाग और केन्द्र तथा राज्य सरकार के संबद्ध विभागों से समन्वय और सम्पर्क स्थापित करना।

VI. होटल और रेस्तरां उद्योग के विकास के लिए उनसे सहायता और सहयोग प्राप्त करना।

VII. पूर भारत में स्थित होटल और रेस्तरां के बीच राष्ट्रीय भाईचारा कायम करना।

इस फैडरेशन का कार्य एक कार्यकारिणी समिति करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय होटल संघ का एक सदस्य है। पूरे देश में पर्यटन, खासकर होटल और रेस्तरां उद्योग के विकास की दिशा में इस संघ ने केन्द्र और राज्य के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार उत्पादन को पूर्णरूप से प्रभावी बनाने का दायित्व भी लिया है।

राजस्थान में अब होटल व्यवसाय ने एक अलग उद्योग का दर्जा पा लिया है। होटल निर्माण में लगी हुई राशि पूर पर्यटन उद्योग में निवेशित पूँजी का लगभग 76.8 प्रतिशत है। आज भारत के शहरी परिवेश एवं संस्कृति में होटल तथा रिसोर्ट एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान बन गए हैं। इसके विकास में अनेक कारकों और कारणों ने योगदान दिया है। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में पर्यटन को दिया जाने वाला महत्त्व तथा विगत कुछ वर्षों से भारत का बदलता आर्थिक दृश्य पटल है। पर्यटन का संगठन तथा आवासीय इकाईयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझने के कारण, निजी कम्पनियां केन्द्रीय तथा राज्य शासनों द्वारा बनाए जाने वाले होटल तथा होटल श्रृंखला इसी के परिणाम है।

ये होटल तथा रिसॉर्ट उस क्षेत्र के समुदाय के सामाजिक जीवन के केन्द्र बिन्दु होते हैं। होटल व्यवसाय अधिक पूँजी लगाने वाले और उसी अनुपात में लाभ देने वाला व्यवसाय है, हालांकि यदि पर्यटक होटलों में अधिक कीमत देने को तैयार है तो बदले में उसी अनुपात में वे ज्यादा अच्छे स्तर की तथा अधिक सेवाओं / सुविधाओं की अपेक्षा करता है।

उपसंहार

इसी प्रकार राज्य में पर्यटन के सुनियोजित संगठन, समन्वय, निर्देशन व नियंत्रण की दिशा में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आज के संदर्भों में कम नहीं है। परन्तु इस दिशा में महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिस संख्या में राज्य में पर्यटकों का आगमन होता है, उस अनुपात में निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अभी और बढ़ाया जाना आवश्यक है।

व्याख्याता (व्यावसायिक प्रशासन)
श्री भवानी निकेतन महिला महाविद्यालय, जयपुर

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, आर.सी. एवं कोठारी, एन.एस. – ''प्रबन्ध के तत्व'', कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 2000
2. घोष, विश्वनाथ – ''टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट'', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली, 1998
3. गुप्ता, सुनील एवं बंसल, एस.पी. – ''ट्यूरिज्म टुवार्ड्स 21 सेन्च्युरी'', दीप एंड दीप पब्लिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली, 2011
4. कुमार, अक्षय – ''ट्यूरिज्म मैनेजमेंट'', कॉमल वेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997
5. खंडेला, मानचन्द – ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008
6. मैकेन्टोस, आर.डब्ल्यू – ''ट्यूरिज्म प्रिन्सीपल्स प्रेक्टिस एण्ड फिलोसोफिस'', ग्रिड, ओहियो, 1987
7. नेगी, जगमोहन एवं मनोहर, गौरव – ''पर्यटन विकास की नई दिशाएँ'', तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010
8. रावत, तारा – ''पर्यटन विकास के विविध आयाम'', तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
9. शर्मा, के.के. – ''राजस्थान में पर्यटन विकास'', प्रगति प्रकाशत, जयपुर, 2006
10. व्यास, राजेश कुमार – ''राजस्थान में पर्यटन प्रबन्ध'' राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2009
11. व्यास, राजेश कुमार – ''पर्यटन – उद्‌भव एवं विकास'', राजस्थानी हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2011